न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर--सरिया

नुनमन साव बनाम उदय राम वगैरह

वाद संख्या – 98/2023

धारा – 144 द0प्र0स0

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
09.09.23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के नुनमन साव पिता स्व0 भुखल साव के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि हुकुमनामा से हासिल है। जिसपर द्वितीय पक्ष के द्वारा मकान निर्माण किया जा रहा है जिसको लेकर विवाद है। वादग्रस्त भूमि का विवरण निम्नवत है मौजा – मरकोडीह, थाना – बिरनी, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत, खाता नं0 – $\frac{22}{23}$, प्लॉट नं0 – $\frac{101}{775}$, रकबा – 74 डी0 चौहदी उ0 – परती कदीम, दं0 – परती कदीम, पू0 – रास्ता वो सिमाना रुपीडीह, पं0 – परती कदीम। द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि इनके पिता भुखल साव को मौजा – मरकोडीह थाना नं0 – 62 के अन्तर्गत खाता संख्या – $\frac{22}{23}$ प्लॉट नं0 – $\frac{101}{775}$ रकबा – 74 डी0 जमीन भूतपूर्व जमींदार महाराजा माहेश्वरी प्रसाद नारायण देव से सादा हुकुमनामा से हासिल है। जिसपर प्रथम पक्ष शांति पूर्वक दखलकार हैं। एवं अंचल बिरनी से चालु पंजी *II* भाग संख्या – 1 पेज नं0 – 162 से प्रथम पक्ष के पिता भुखल नायक के नाम पर जमाबंदी कायम हैं। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा कि छायाप्रति, खालसा रसीद कि छायाप्रति एवं सरकारी मालगुजारी रसीद कि छायाप्रति दाखिल किया गया।	

C.C. Issued 23/9/23

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बताया गया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि हुकुमनामा से मेरे पूर्वज हारु राम एवं जागी राम वगैरह पिता स्व0 रामा राम के नाम पर चलता खतियान से जमीन प्राप्त है जो भूतपूर्व जमींदार महेश्वरी प्रसाद नारायण देव के द्वारा दिया गया है जो थाना नं0 – 62, खाता नं0 – $\frac{22}{23}$ एवं $\frac{22}{46}$ प्लॉट संख्या – $\frac{101}{775}$ रकबा – 72 डी0 प्लॉट नं0 – $\frac{200}{804}$ रकबा – 73 डी0 कुल रकबा – 1 एकड 45 डी0 जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बिरनी के चालु पंजी – *II* भाग संख्या – 1 पेज नं0 – 49 में चुरामन दुसाध वगैरह के नाम पर दर्ज है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में चलता खतियान कि छायाप्रति खालसा रसीद एवं सरकारी रसीद एवं ऑनलाईन पंजी *II* कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा, दस्तावेज, अंचल अधिकारी बिरनी के पत्रांक संख्या – 539 दिनांक 03/07/2023 के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष प्रश्नागत भुमि पर दखलकार हैं तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के द्वारा प्रथम पक्ष के दखल को जबरन प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित किया जाता है।

उक्त विवेचन के साथ वाद कि कार्यवाई समाप्त कि जाती है।

यह आदेश दं0प्र0सं0 कि धारा 144(*IV*) के नोटिस निर्गत करने की तिथि अर्थात 11/07/2023 से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा।

लेखापित।

09/09/23 09/09/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी अनुमंडल दण्डाधिकारी

बगोदर–सरिया बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.03 12:24:33 +05:30
Location: 192.168.1.13

C.C. Issued 23/9/23